



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-29/2023-24

बुद्धिनाथ दे

बनाम्

झारखण्ड सरकार वगैरह

—: आदेश :—

क्रमांक 8/2/23

अपीलकर्ता कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता का अभिरुचि इस अपील वाद में नहीं
रह गया है।

अतः अभिरुचि के अभाव में वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया
समाप्त किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड्डा। 08/02/23


उपायुक्त,
गोड्डा। 08/02/23